

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिनेश राय सापेला, RAS

प्रकरण संख्या : 45/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/53

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री नरेश कुमार कलाल पुत्र श्री लालजी
कलाल निवासी बार्ड नं. 4 तेजपुर, बांसवाड़ा,
(विक्रेता/मालिक) मैसर्स लक्ष्मी दुध डेयरी,
तेजपुर, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22-08-2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 15-06-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10-03-2023 को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स लक्ष्मी दुध डेयरी, तेजपुर, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नरेश कुमार कलाल पुत्र श्री लालजी कलाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स लक्ष्मी दुध डेयरी, तेजपुर, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में मिक्स मिल्क (लूज) लगभग 90 लीटर डीप फ्रिज में तीन एल्युमिनियम की केन (प्रत्येक में 30-30 लीटर) में रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए मिक्स मिल्क (लूज) 2 लीटर मिलाकर एक मेल कर/ मूल एक साफ सुखे व खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर/ नपवाकर वारते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 80/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा मिक्स मिल्क (लूज) 2 लीटर को 4 साफ सुखे एवं खाली बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में प्रिजर्वेटिव फॉर्मैलीन की 40-40 बुन्दे डालकर एयरटाईड बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डॉ.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1326 प्रत्येक नमूना भाग पर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवे एवं सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/229 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 306 दिनांक 22-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स मिल्क (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1326** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा मिक्स मिल्क (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19-06-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22-08-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/229 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 306 दिनांक 22-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स मिल्क (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1326** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी

अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबरस्टैण्डर्ड किया गया मिक्स मिल्क (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री नरेश कुमार कलाल पुत्र श्री लालजी कलाल निवासी वार्ड नं. 4 तेजपुर, बांसवाडा, (विक्रेता/मालिक) मैसर्स लक्ष्मी दुध डेयरी, तेजपुर, बांसवाडा जिला बांसवाडा को रूपये 30,000/- (अक्षरे रु तीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 22-08-2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाडा

